न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम श्री इमरान खान(R.T.S)

पत्रावली संख्या – 13/2019(विविध)

पेमाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट नि. स्वामी की ढाणी तहसील फतेहपुर

बनाम

तहसीलदार फतेहपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.02.2018 एवं निर्णय दिनांक 22.10.2019 में पारित निर्णय एवं प्रति प्रेषित की पालना में।

–:–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

परिवादी पेमाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट नि. स्वामी की ढाणी तहसील फतेहपुर द्वारा ग्राम स्वामी की ढाणी तहसील फतेहपुर के तत्सम्यक् खसरा न. 87 रकबा 16.46 चारागाह में 0.01 है. पर "कच्चा मकान टीनशेड व तारबंदी " करके अतिक्रमण करने बाबत शिकायत प्राप्त होने पर पटवारी हल्का दांतरू उक्त अतिक्रमण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट 1956 के अन्तर्गत दर्ज कर अतिक्रमी को जरिये सम्मन तलब कर सुनवाई हेतु युक्ति अवसर दिया जाकर सुना गया। परिवादी पेमाराम ने प्रकरण की सुनवाई में विवेचित पटटा जारी द्वारा तहसीलदर फतेहपुर क्रमांक 693 दिनांक 19.12.1978 जो कि परिवादी के पिता दोलाराम पुत्र खींवाराम के नाम जारी किया गया है, की प्रति पेश की। दोलाराम पुत्र खींवाराम की मृत्यु हो चुकी है। उक्त पट्टे शुदा भूमि पर दौलाराम पुत्र खीवाराम के वारिस आवासरत है तथा उक्त भूमि "अतिक्रमित स्थल" से पृथक एवं अन्यत्र है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं निर्णय तहसीलदार फतेहपुर दिनांक 22.02.2016 के अनुसार परिवादी का अतिक्रमण किया हुआ स्थल एवं वर्णित पट्टा (दिनांकित 19.12.1978) पृथक–पृथक स्थल है परिवादी द्वारा अन्य कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर धारा 91 एलआर एक्ट के अनुसार अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किये जाने के आदेष दिनांक 22.02.2016 को प्रसारित किये गये । मुताबिक निर्णय/आदेश बेदखली के अतिक्रमी को दिांक 03.03.2016 को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया।

परिवादी पेमाराम पुत्र दोलाराम द्वारा उसके विरूद्ध तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2016 के विरूद्ध माननीय जिला कलक्टर महोदय सीकर के यहां अपील (पत्रावली सं 17/2016/अपील) प्रस्तुत की गई। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपीलांट/परिवादी पेमाराम के प्रकरण की सुनवाई कर दिनांक 04.12.2017 को निर्णय पारित किया जिसके अनुसार "अधीनस्थ नायब तहसीलदार फतेहपुर का आदेष दिनांक 29.02.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार फतेहपुर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता

तहसीलदार
फतेहपुर (सीकर)

है कि अपीलांट की पैतृक पटेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुये संदर्भित विवादित भूमि का दो माह की अवधि में विधि सम्मत निस्तारण करें।"

माननीय जिला कलक्टर महोदय सीकर के निर्णय दिनांक 04.12.2017 के द्वारा प्राप्त निर्देशो की पालना में प्रकरण दर्ज किया जाकर परिवादी/अपीलांट पेमाराम/दोलाराम जाति जाट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर प्रकरण की सम्यक जांच कर शामिल पत्रावली की गई, रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.नि के अनुसार एवं जारी पटा दिनांकित 19.12.1978 की संबधित अतिकमी संबधी पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त पत्रावली में जारी सनद से संबधित अतिक्रमण की पत्रावली में अंकित अड़ोसी पड़ौसी के अनुसार सनद पटटे की भूमि अतिक्रमित भूमि से पृथक होने पर दिनांक 28.02.2018 को तहसीलदार फतेहपुर द्वारा निर्णय जारी किया जिसके अनुसार "पेमाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट निवासी स्वामी की ढाणी द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध है। न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29.02.2016 की क्रियान्विति एवं इजराय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। जिसकी पुष्ठि की जाती है।

तहसीलदार फतेहपुर के निर्णय दिनांकित 28.02.2018 से क्षुब्ध होकर पिरवादी/अपीलांट "पेमाराम पुत्र दोलाराम" ने माननीय जिला कलक्टर सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। माननीय जिला कलक्टर महोदय सीकर द्वारा उक्त अपील (पत्रावली स 53/2018/अपील) में उल्लेख करते हुये निर्देषित किया गया है कि "न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 4.12.2017 से प्रकरण प्रति प्रेषित करने पर अपीलांट की पैतृक पटेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाया या नही। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह नही बताया कि अपीलांट के पिता के नाम से जारी पटटा की भूमि कौनसी है और तथाकथित नाजायज कब्जा बताया गया है उससे कितनी दूरी पर है तथा शांति देवी के नाम से जारी पटटे से कितनी दूर है। इस संबध में सम्पूर्ण परीक्षण कर संबधित राजकीय विभागों की समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर एक माह के भीतर निस्तारण करें।

पत्रावली में प्रदत निर्देशानुसार प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में परिवादी को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। पटवारी हल्का/भू.अ. निरीक्षक एवं पंचायतीराज विभाग से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

पत्रावली में शामिल साक्ष्य का अध्ययन मनन किया गया। परिवादी/अपीलांट द्वारा किया गया अतिक्रमण मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दिनांक 15.02.2016 नितांत अवैध होना पाया गया। प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत सनद पटटा दिंकित 19.12.1978 के संबध में जांच किये जाने पर उक्त पटटे के संबध में संबधित अतिक्रमण पटवारी एवं तत्समय कार्यरत पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त सनद पटा ग्राम स्वामी की ढाणी की आबादी भूमि के संस्पर्शी स्थित होने पर उक्त दौलाराम पुत्र खींवाराम को जारी सनद पटटे की भूमि वर्तमान में आबादी में स्थित होने के कारण पृथक से सीमाज्ञान कराया जाना संभव नही है।

उक्त सनद पटटे की भूमि जो वर्तमान में आबादी में स्थित है पर स्व. दौलाराम व खींवाराम के वारिस आवासरत है। "द्वितीय शांन्तिदेवी पत्नी दौलाराम" के नाम जारी पटे संबध में ग्राम पंचायत से रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड चाहे जाने पर रिकॉर्ड उपलब्ध नही होना पंचायत द्वारा लिखित में बताया गया। ऐसी स्थिति में जारी पटटा आबादी भूमि में ही हो सकता है जबकि अपीलांट/परिवादी पेमाराम/दौलाराम द्वारा चारागाह भूमि में किया गया अतिक्रमण

अवैध है जिसे मुताबिक निर्णय दिनांक 22.02.2016 क्षरा हटाये जाने के आदेश की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
(इमरान खान)
फतेहपुर (सीकर)

तहसीलदार
फतेहपुर (सीकर)